

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर
"क्ति भवन" जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp-ta-rj@nic.in)

क्रं.:- प.3(ग)एसीपी/अलेसे-II/2019/ 115

दिनांक:- 28/05/20

आदेश संख्या 148/2019-20

राज्य सरकार के आदेशक्रमांक एफ.15(1)एफ.डी./रुल्स/2017 दिनांक 30.10.2017, 09.12.2017 एवं एफ.14(88) एफ.डी./ रुल्स/ 2008 दिनांक 12.01.2018 के अनुसरण में निम्नांकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II को राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा में 27 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर उनके कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से प्राप्त संतोषजनक सेवा सम्बन्धी प्रमाण पत्र एवं संतान घोषणा पत्र के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 5 में उल्लिखित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद की तृतीय अस्वाप्तित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी) पे मैट्रिक्स के लेवल L-13 में स्वीकृत की जाती है।

क्र.सं.	नाम (सर्वश्री)	मेरिट/बैच नं. / लिंक नं.	कनिष्ठ लेखाकार/समान लेवल के अन्य पद पर प्रथम कार्यग्रहण तिथि	तृतीय एसीपी देय तिथि	विशेष विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	अशोक कुमार	562/88 4532	05.11.1990	05.11.2017	—
2.*	किशोर सिंह चावडा	564/88 4291	05.11.1990	05.11.2017	9 वर्ष की एपीएआर जांच के आधार पर देय
3.	शिव कुमार शर्मा	710/88 5827	29.08.1991	29.08.2018	—
4.*	धर्मेन्द्र कुमार शर्मा	713/88 4566	11.11.1991	11.11.2018	9 वर्ष की एपीएआर जांच के आधार पर देय
5.	उगमाराम चाहर	729/88 5617	11.11.1991	11.11.2018	—
6.*	बाबूलाल टेलर	738/88 4608	13.09.1991	13.09.2018	9 वर्ष की एपीएआर जांच के आधार पर देय
7.	द्वारका प्रसाद	डीजीएस/89 1140	20.01.1992	20.01.2019	—
8.	पवन कुमार शर्मा	डीजीएस/89 5310	24.06.1991	24.06.2018	—
9.*	कमलेश्वर चौधरी	डीजीएस/89 4331	11.11.1991	11.11.2018	9 वर्ष की एपीएआर जांच के आधार पर देय

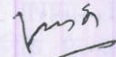
*उपरोक्त क्रम संख्या 2, 4, 6 एवं 9 पर अंकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II के गत सात वर्ष में से पूरे 07 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होने पर नियमानुसार गत 09 वर्ष में से 07 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की उपलब्धता के आधार पर तृतीय अस्वाप्तित कैरियर प्रगति

प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जाकर तदनुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

उपरोक्त कार्मिक/कार्मिकों का वेतन निर्धारण कि विभाग के उक्त आदेश दिनांक 30.10.2017 के पैरा 14 (2) एवं आदेश दिनांक 09.12.2017 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि इन्हें:-

1. पुनरीक्षित वेतनमान 2017 के अनुसार वेतन भुगतान किया जा रहा है।
2. पूर्व में तृतीय अस्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृति नहीं की गई है।
3. कॉलम संख्या 5 में उल्लिखित अस्वासित कैरियर प्रगति देय तिथि से गत 7 वर्ष पूर्व तक कोई दण्ड नहीं दिया गया है।
4. इनके विरुद्ध फौजदारी/विभागीय जांच लंबित अथवा प्रस्तावित नहीं है।
5. गत 7 वर्षों से नियमित वेतन वृद्धियां मिल रही है।

इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि संबंधित कार्मिक की सेवा पुस्तिका में आक्षेपक रूप से की जावे।


(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

दिनांक:- 28/12/2019

क्रमांक:- प.3(ग)एसीपी/अलेसे-II/2019/115

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आक्षेपक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
2. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I/एपीएआर शाखा)
3. संबंधित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
5. कम्प्यूटर अनुभाग (वेबसाइट) हेतु।
6. निजी पत्रावली/ रक्षित पत्रावली।


(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)